

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 123/20-21



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

बीरबल मुण्डा

- विक्रेता

निराली सुरीन

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर										
06.11.20	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक बीरबल मुण्डा पिता स्व० सोमा मुण्डा ग्राम-मुण्डा कुंजला, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी ने निराली सुरीन पति कमल सुरीन ग्राम-मुण्डा कुंजला, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="245 683 1353 779"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कुंजला</td> <td>249</td> <td>35</td> <td>642</td> <td>0.01<math>\frac{3}{4}</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र /खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0696616445 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 738 दिनांक 05.11.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम वीजना मुण्डा वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार श्री वौला मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का रकबा 48.59 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 4.85 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 19862.00(उन्नीस हजार आठ सौ बारसठ) रू० प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.82<math>\frac{1}{2}</math> एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण बीरबल मुण्डा पिता स्व० सोमा मुण्डा को निराली सुरीन पति कमल सुरीन के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं० 35 खेसरा संख्या 642 कुल रकबा 0.01<math>\frac{3}{4}</math> एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 19862.00(उन्नीस हजार आठ सौ बारसठ) रू० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="236 1892 518 2116"> <p>              06/11/20              भूमि सुधार उपसमाहर्ता,              खूँटी।</p> </div> <div data-bbox="1021 1960 1316 2116"> <p>              06/11/20              भूमि सुधार उपसमाहर्ता,              खूँटी।</p> </div> </div>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	कुंजला	249	35	642	0.01 $\frac{3}{4}$
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)							
कुंजला	249	35	642	0.01 $\frac{3}{4}$							